e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या : 01/भू0अ0नि0(3) विविध (वि0सर्वे0अमीन) अरोप(लखीसराय)–21/2021 2587 **पटना, दिनांक** : 27-08-2021

आदेश

बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–495 दिनांक 07.08.2021 के द्वारा **श्री आनन्द कुमार,** विशेष सर्वेक्षण अमीन (ID No.-AEN04204) के द्वारा कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का आरोप लगाते हुए संविदा अनुबंध रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त संसूचित अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक–2369 दिनांक 12.08.2021 द्वारा श्री आनन्द कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन, शिविर कार्यालय, सूर्यगढ़ा–01 से एक सप्ताह के अन्दर अनुबंध रद्द करने के विरूद्ध एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। श्री कुमार के द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित तिथि एवं समय पर समर्पित किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई, समीक्षोपरांत पाया गया कि इन्हें अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 04.08.2021 को लखीसराय बन्दोबस्त कार्यालय एवं शिविर निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाया गया है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि ये अपने शिविर प्रभारी को अवकाश की सूचना देकर अवकाश में गये थे। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई है कि जब अपर मुख्य सचिव के निरीक्षण के कार्यक्रम की सूचना दिनांक 03.08.201 के अपराह्न में प्राप्त हुई, तो इनके द्वारा ज्ञाप संख्या– 48 दिनांक 03.08.2021 के द्वारा इनका अवकाश रद्द करते हुए शिविर में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में भी स्वीकार किया गया है कि अपर मुख्य सचिव के भ्रमण की सूचना इन्हें वाटसएप ग्रुप में दिनांक 03.08.2021 को 5.35 में मिल गया था, परन्तु मुख्यालय से बाहर रहने के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

जहाँ तक प्रश्न है अवकाश स्वीकृति के उपरांत मुख्यालय से बाहर जाने का तो इनके आवेदन का अवलोकन किया गया। आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनके अवकाश स्वीकृति आवेदन को इनके प्रभारी द्वारा Seen किया गया है, जो अवकाश स्वीकृति का परिचायक नहीं है, क्योंकि अवकाश स्वीकृति के संदर्भ में बिहार सेवा संहिता के नियम– 152 में प्रावधान है कि छुट्टी का अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकता। यदि लोकसेवा के लिए नितांत आवश्यक हो, तो छुट्टी देने के लिए शक्तिमान पदाधिकारी अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। संभवतः बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा इस नियम का ही पालन किया गया है।

इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है। अतः इनके द्वारा की गई कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता, वरीय पदाधिकारी के आदेशोल्लंघन का द्योतक है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसके लिए योजना की अवधि निर्धारित है। इस तरह के संविदा कर्मी को सेवा में बनाये रखने से अन्य कर्मियों पर भी दुष्प्रभाव न पड़े इसे दृष्टिगत रखते हुए इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली– 2019''** के नियम 8(4) के तहत **श्री आनन्द कुमार,** विशेष सर्वेक्षण अमीन (ID No.-AEN04204) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

28/8/21

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0(3) विविध (वि0सर्वे0अमीन) अरोप(लखीसराय)–21/2021 2587 **पटना, दिनांक**: 27-08-2021

प्रतिलिपि :– बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय को उनके पत्रांक– 495/बन्दो0 दिनांक 07.08.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/8/21

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Satish-2021\Amit Sir\Order\21-2021-27-08-2021 (Lakhisharai).doc

ज्ञापांक : 01 / भू0अ0नि0(3) विविध (वि0सर्वे0अमीन) अरोप(लखीसराय)–21 / 2021 2587 **पटना, दिनांकः** 27-08-2021

प्रतिलिपि :– **श्री आनन्द कुमार,** विशेष सर्वेक्षण अमीन (ID No.-AEN04204) बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय, E-mail ak553306@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01 / भू0अ0नि0(3) विविध (वि0सर्वे0अमीन) अरोप(लखीसराय)–21 / 2021 2587 **पटना, दिनांकः** 27-08-2021

प्रतिलिपि :– प्रभारी आई0 टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं निदेशालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप